न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 98/2021

अनवान : –

1. कार्तिक नाबालिग पुत्र अनिल कुमार जरिये संरक्षिका माता कान्ता पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कौशल्या पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. निर्मला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजकला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि में से गैरसायल संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 917/11006 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के दादा महेन्द्रसिंह के देहान्त के बाद विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई उक्त भूमि में सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल संख्या 2 जो की सायल की दादी है तथा गैरसायल संख्या 3 ता 4 जो की सायल की बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है गैरसायल संख्या 2 ता 4 ने अपना समस्त हक हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

गैरसायल संख्या 1 जो सायल का पिता है अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 ता 4 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज [illegible] किया गया। रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/[illegible] [illegible] की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राज[illegible])
नोहर (हनुमानगढ)

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 2 को अपने पति से एवं गैरसायल संख्या 3 व 4 को अपने पिता से विरासत प्राप्त हुई हैं। सायल केवल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 को विरासतन प्राप्त भूमि में से सायल का जन्म से कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग नही किया है गैरसायल संख्या 2 ता 4 अपना जो भी हक हिस्सा है लेना चाहती है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 जो सायल का पिता है अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तिों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 ता 4 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 2 को अपने पति से एवं गैरसायल संख्या 3 व 4 को अपने पिता से विरासत प्राप्त हुई हैं। सायल केवल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 को विरासतन प्राप्त भूमि में से सायल का जन्म से कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग नही किया है गैरसायल संख्या 2 ता 4 अपना जो भी हक हिस्सा है लेना चाहती है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या [illegible] दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावे[illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है अगर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को रहन, [illegible] करता है तो अपूर्णीय क्षति होगी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि भी पैतृक है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग नही किया है अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का जो भी हक हिस्सा है वह लेना चाहती है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम उक्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है अतः सायल का अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि मे कोई जन्मजात हक हिस्सा नही है।

उक्त विचेनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अगर वाद भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैय करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 को अपने पति से तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 को अपने पिता से विरासतन कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.07.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है तथा अन्य पक्षकारान के विरूद्ध उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 22.07.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested